"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2013—भाद्र 1, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, डी. के. एस. भवन के समीप, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक एफ-121/रानिआ/न. पा./व्यय लेखा/2010/1012.- दिनांक 22 अगस्त 2013 को नगर पंचायत डौंडीलोहारा जिला दुर्ग छ. ग. के 11 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-121/रानिआ/न. पा./व्यय लेखा- 2010

1. ईश्वरराम ठाकुर, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत डौंडीलोहारा, जिला-दुर्ग, छ.ग.
2. किशोर दीवान, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत डौंडीलोहारा, जिला-दुर्ग, छ.ग.
3. गोरेसिंह राजपूत, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत डौंडीलोहारा, जिला-दुर्ग, छ.ग.
4. मनोहर साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत डौंडीलोहारा, जिला-दुर्ग, छ.ग.
5. महेन्द्र भंसाली, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत डौंडीलोहारा, जिला-दुर्ग, छ.ग.
6. महेश दीवान, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत डौंडीलोहारा, जिला-दुर्ग, छ.ग.
7. महेश्वर सिन्हा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत डौंडीलोहारा, जिला-दुर्ग, छ.ग.
8. राजू साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत डौंडीलोहारा, जिला-दुर्ग, छ.ग.
9. लाल भूपेन्द्र टेकाम, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत डौंडीलोहारा, जिला-दुर्ग, छ.ग.
10. सुदर्शन, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत डौंडीलोहारा, जिला-दुर्ग, छ.ग.
11. ज्ञानेश्वर उपाध्याय, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत डौंडीलोहारा, जिला-दुर्ग, छ.ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अंतर्गत)

पारित दिनांक 22 अगस्त 2013

यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), दुर्ग (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 23 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत डौंडीलोहारा के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 13 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 23 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत डौंडीलोहारा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी ईश्वरराम ठाकुर, किशोर दीवान, गोरेसिंह राजपूत, मनोहर साहू, महेन्द्र भंसाली, महेश दीवान, महेश्वर सिन्हा, राजू साहू, लाल भूपेन्द्र टेकाम, सुदर्शन एवं ज्ञानेश्वर उपाध्याय द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 26 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा अभ्यर्थी ईश्वरराम ठाकुर, किशोर दीवान, गोरेसिंह राजपूत, मनोहर साहू, महेन्द्र भंसाली, महेश दीवान, महेश्वर सिन्हा, राजू साहू एवं ज्ञानेश्वर उपाध्याय को दिनांक 11 जून 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई कि विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको 5 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए नगर पंचायत का अध्यक्ष अथवा पार्षद होने के लिए निरर्हित क्यों न किया जाए. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों ईश्वरराम ठाकुर, महेश्वर सिन्हा, राजू साहू, गोरेसिंह राजपूत तथा मनोहर साहू को दिनांक 23 जून 2010 को तथा ज्ञानेश्वर उपाध्याय, किशोर दीवान एवं महेश दीवान को दिनांक 28 जून 2010 को सम्यक् रूप से तामील की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी ईश्वरराम ठाकुर, महेश्वर सिन्हा, राजू साहू, गोरेसिंह राजपूत, मनोहर साहू, ज्ञानेश्वर उपाध्याय, किशोर दीवान एवं महेश दीवान को सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि उक्त अभ्यर्थियों को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है ; उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी महेन्द्र भंसाली ने कारण बताओ सूचना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर के माध्यम से प्राप्त होने पर उसके सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब दिनांक 4 अगस्त 2012 को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा तैयार किया जा चुका है किन्तु डौंडीलोहारा से चारामा कांकेर आ जाने के कारण नियत तिथि में निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं कर सका अतएव उन्हें इस हेतु समय दिया जावे. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में आयोग द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 10 अक्टूबर 2012 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया. उक्ताशय का सूचना पत्र अभ्यर्थी को दिनांक 26 सितम्बर 2012 को सम्यक् रूप से तामील किया गया परन्तु सूचना उपरान्त भी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहा. अतएव यह माना जाकर कि अभ्यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

5. निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 23 फरवरी 2013 में यह उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी लाल भूपेन्द्र टेकाम तथा सुदर्शन द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया है. आयोग की पृच्छा पर निर्वाचन अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 18 जुलाई 2013 के द्वारा आयोग के पत्र दिनांक 9 जून 2004 का हवाला देते हुये यह स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी लाल भूपेन्द्र टेकाम तथा सुदर्शन ने शपथ पत्र का अभिप्रमाणन किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अथवा उपजिला निर्वाचन अधिकारी (न. पा.) अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी (न. पा.) से नहीं कराया है, अपितु नोटरी से कराया है. अतएव इन उभय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्वाचन व्यय लेखा को विधि की अपेक्षानुसार दाखिल किया जाना नहीं माना जाकर, तदनुसार प्रतिवेदित किया गया है.

6. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी ईश्वरराम ठाकुर, किशोर दीवान, गोरेसिंह राजपूत, मनोहर साहू, महेन्द्र भंसाली, महेश दीवान, महेश्वर सिन्हा, राजू साहू एवं ज्ञानेश्वर उपाध्याय ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क एवं 32-ख की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**- प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1)की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखित किया जाना**- अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. चूंकि 26 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश का दिन था, अत: उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि निर्वाचन अधिकारी ने इसे अपने प्रतिवेदन में दिनांक 26 जनवरी 2010 उल्लेखित किया है.

7. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी महेन्द्र भंसाली के जवाब तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य सुसंगत अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत डौंडीलोहारा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी ईश्वरराम ठाकुर, किशोर दीवान, गोरेसिंह राजपूत, मनोहर साहू, महेश दीवान, महेश्वर सिन्हा, राजू साहू एवं ज्ञानेश्वर उपाध्याय ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में आयोग को अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया. अभ्यर्थी महेन्द्र भंसाली ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में आयोग को अपना जवाब दिनांक 4 अगस्त 2012 को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि वे निर्वाचन व्यय लेखा तैयार कर चुके थे परन्तु डौंडीलोहारा से चारामा कांकेर आ जाने के कारण नियत तिथि में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं कर सके. उनके द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था चाहे वे डौंडीलोहारा में थे अथवा अन्यत्र चले गये थे. वे चाहते तो स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि में दाखिल कर सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई और न ही वह आयोग द्वारा प्रत्यक्ष सुनवाई हेतु आहूत किये जाने पर निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा. इससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थी महेन्द्र भंसाली के पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल नहीं करने का कोई न्यायोचित कारण नहीं है. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण ईश्वरराम ठाकुर, किशोर दीवान, गोरेसिंह राजपूत, मनोहर साहू, महेन्द्र भंसाली, महेश दीवान, महेश्वर सिन्हा, राजू साहू एवं ज्ञानेश्वर उपाध्याय प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. यद्यपि अधिनियम की धारा 32-ग में बिना अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्यता रहित असफलता के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिए निरर्हित करने का प्रावधान है ; लेकिन विद्यमान परिस्थिति में दो वर्ष एवं छ: माह की कालावधि हेतु निरर्हित करना न्याय के हित में उचित प्रतीत होता है. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों ईश्वरराम ठाकुर, किशोर दीवान, गोरेसिंह राजपूत, मनोहर साहू, महेन्द्र भंसाली, महेश दीवान, महेश्वर सिन्हा, राजू साहू एवं ज्ञानेश्वर उपाध्याय को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस

आदेश की तारीख से दो वर्ष एवं छः माह की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. जहां तक अभ्यर्थी लाल भूपेन्द्र टेकाम एवं सुदर्शन द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा के साथ प्रस्तुत शपथपत्र का प्रश्न है निर्वाचन अधिकारी ने उक्त शपथपत्र को आयोग के ज्ञापन क्रमांक एफ-88/न.पा./व्ययं लेखा/04 दिनांक 9 जून 2004 की कंडिका 3 (IV) के अनुरूप नहीं माना है. प्रश्नाधीन कंडिका निम्नानुसार है :

"(IV) लेखे के साथ शपथ-पत्र नियमानुसार अभिप्रमाणित नहीं है क्योंकि उसे किसी सक्षम अधिकारी [जैसे कि कोई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अथवा उपजिला निर्वाचन अधिकारी (न. पा.) अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी (न. पा.)] के समक्ष सत्यनिष्ठा से शपथ लेते हुए, हस्ताक्षरित नहीं किया गया है."

इससे यह स्पष्ट है कि निर्वाचन व्यय लेखा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथपत्र के अभिप्रमाणन के संबंध में आयोग द्वारा जारी किये गये ज्ञापन दिनांक 9 जून 2004 के अनुसार शपथपत्र के अभिप्रमाणन हेतु, उदाहरण स्वरूप सक्षम अधिकारियों यथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अथवा उपजिला निर्वाचन अधिकारी (न. पा.) अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी (न. पा.) का उल्लेख किया गया है. अर्थात् नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथपत्र भी स्वीकार योग्य है. फलतः अभ्यर्थी लाल भूपेन्द्र टेकाम तथा सुदर्शन द्वारा सम्यक् रूप से विधि की अपेक्षानुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया माना जाना न्यायोचित है ; अतः अभ्यर्थी लाल भूपेन्द्र टेकाम तथा सुदर्शन द्वारा सम्यक् रूप से विधि की अपेक्षानुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किये जाने के कारण इनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

8. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 22 अगस्त 2013 को जारी किया गया.

हस्ता.

(पी. सी. दलई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.